[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 03 जुलाई, 2017

का.आ. 2065(अ).-- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 धन के परन्तुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि धारा 269 धन के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये मार्दर्शक सिद्धांतों के अनुसार बैंककारी कम्पनी और सहकारी बैंक की ओर से कारोबार संपर्की द्वारा प्राप्ति;

(ख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये प्राधिकरण के अनुसरण में बैंककारी कम्पनी और सहकारी बैंक की ओर से सफेद स्तर स्वचलन गणक मशीन प्रचालक द्वारा खुदरा बाजार स्त्रोत से प्राप्ति;

(ग) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, (2007 का 51) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये प्राधिकरण के अनुसरण में पूर्व-संदत्त संदाय उपकरण के जारीकर्त्ता द्वारा अभिकर्त्ता से प्राप्ति;

(घ) प्रत्यय कार्ड जारी करने वाली कम्पनी या संस्था द्वारा एक या अधिक प्रत्यय कार्ड के सम्बन्ध में जारी किए गये बिल के विरुद्ध प्राप्ति;

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (17अ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न होने वाली प्राप्ति ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 को लागू हुई समझी जायेगी।

अधिसूचना सं० 57/2017, [फा.सं० 370142/10/2017-टीपीएल]

(सलिल मिश्रा)
निदेशक (कर नीति और विधान)